

L.C Appeal No- 01/2008
Opindo mahato
-Vrs-
Fantush Mahato & others

order	Order with the Signature of the Court	Office action taken with date
-------	---------------------------------------	-------------------------------

1.20

माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड रांची के न्यायालय के वाद संख्या-37/2011(ओपिंदो महतो बनाम फंटुश महतो एवं अन्य) में दिनांक 26.7.12/03.9.12 को पारित आदेश में वाद को पुनः जांच कर तथ्यात्मक आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। वाद का सार यह है कि विपक्षी-1(फंटुश महतो) द्वारा विपक्षी संख्या-2(श्री शंकर महतो) एवं विपक्षी सं0-3(श्री लालजी महतो) से गोविंदपुर अंचल अंतर्गत मौजा-पहाडपुर मौजा नं0-211 खाता सं0-02 प्लॉट सं0-1380 रकवा-17डी0 भूमि निबंधित दलील संख्या-3708 दिनांक 24.4.07 द्वारा कय किया गया था। अपीलार्थी (ओपिंदो महतो) द्वारा आसन्नवर्ती रैयत के हैसियत से उक्त निबंधित भूमि के विरुद्ध बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा-16(3) के तहत अग्रकय आवेदन दाखिल किया गया था जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद द्वारा एल0सी0 वाद सं0-03/2007-08 में दिनांक 5.12.08 को अस्वीकृत कर दिया गया था। तत्पश्चात उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल एल0सी0अपील सं0-01/2008 में समाहर्त्ता, धनबाद द्वारा दिनांक 23.9.10 को अपील अस्वीकृत कर दिया गया था। उक्त अपील आदेश के विरुद्ध माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड रांची के न्यायालय के वाद संख्या-37/2011 (ओपिंदो महतो बनाम फंटुश महतो एवं अन्य) दाखिल किया गया जिसे इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है।

उक्त आदेश के आलोक में अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। तत्पश्चात विपक्षी को पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। साथ ही माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड रांची के द्वारा पारित आदेश के आलोक में उल्लिखित बिन्दुओं पर अंचल अधिकारी, गोविंदपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

उभय पक्ष द्वारा उपस्थित होकर अपना-अपना लिखित पक्ष रखा गया। अपीलार्थी का कथन है कि प्रश्नगत भूमि की प्रकृति एवं स्वरूप बदलने का प्रयास वाद दाखिल करने से ही किया जा रहा है। इस

संबंध में निम्न न्यायालय में भी दिनांक 18.5.07 को आवेदन दाखिल किया गया था। विपक्षी द्वारा भूमि को आवासीय रूप देकर बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा-16(3) को विफल करने का हर सम्भव प्रयास किया गया। प्रश्नगत भूमि कृषि योग्य भूमि है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा-2 एवं 2(एफ) के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में भूधारी की वासभूमि अंतर्गत परिभाषित है। निम्न न्यायालय में अधिवक्ता आयुक्त द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की कंडिका-5 में प्रश्नगत भूमि के उत्तरी ओर जुताई एवं घास उगने का प्रमाण पाया गया। विपक्षी दलील में अंकित भूमि के किस्म गोडा-2 से इंकार नहीं कर सकते। इस प्रकार अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि के आसन्नवर्ती रैयत है एवं भूमि का स्वरूप कृषि है। अतएवं उक्त के आलोक में अपील आवेदन स्वीकार्य करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत विवाद का मुख्य कारण यह है कि प्रश्नगत भूमि के वास्तविक स्वामी एवं दखलदार शंकर महतो थे। वर्ष 2006 में अपीलार्थी के भाई विनोद महतो द्वारा प्लॉट सं0-1380 के 17डी0 के अंश पर 90X15वर्गफीट का दीवार निर्माण करने लगे। श्री विनोद महतो का प्रश्नगत भूमि के पश्चिम ओर पक्का मकान बना हुआ है। उक्त के संबंध में धारा-144 द0प्र0सं0 अंतर्गत एम0पी वाद संख्या-1171/06 चला था। उक्त मामला दीवार निर्माण के कारण प्रारम्भ हुआ था। विपक्षी सं0-2 एवं 3 द्वारा निबंधित दलील के माध्यम से विपक्षी सं0-1 को प्रश्नगत भूमि विक्रय कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में प्रश्नगत भूमि कृषि योग्य बताया जा रहा है। जबकि वर्ष 02.9.2006 से मकान बनाने का मामला चल रहा है। उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि दलील में गोडा भूमि अंकित किया गया है जो कृषि योग्य नहीं है। अधिवक्ता आयुक्त द्वारा निम्न न्यायालय में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की चौहद्दी के पूरब तेजेश्वर महतो एवं पश्चिम में शम्भू महतो का पक्का मकान बना हुआ है। साथ ही विवादित भूमि के दक्षिण में पक्का सडक है। प्रश्नगत भूमि के पुरब एवं पश्चिम की ओर आवासीय मकान बना है। इस प्रकार अधिनियम की धारा-16(3) का कोई आधार नहीं रह जाता है। उनका कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों के आधार पर सही आदेश पारित किया गया है। उक्त आलोक में अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, गोविंदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्लॉट सं०-1380 की वर्तमान स्थिति परती है एवं स्थल जांच में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.5.07 के पहले खेसरा-1380 परती था। भूमि रैयती खाते की है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि प्लॉट सं०-1379 पर स्थल जांच में विनोद महतो, ओपिंदो महतो, शंभु महतो वो जोगिन्दर महतो का संयुक्त दो तल्ला पक्का आवासीय मकान-सह-बाड़ी है। खेसरा 1379 का खतियानी रकवा-0.53ए है एवं भूमि रैयती खाते की है।

अपीलाथी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता बहस में भाग नहीं लिये। अभिलेख में संलग्न कागजात, उभय पक्ष द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रश्नगत मामले में मुख्य रूप से भूमि के प्रकृति एवं आसन्नवर्ती रैयत की जांच की गई है। अंचल अधिकारी, गोविंदपुर के जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नगत भूमि परती है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि प्लॉट नं०-1379 पर विनोद महतो, ओपिन्दो महतो, शंभु महतो वो जोगिन्दर महतो का संयुक्त दो तल्ला पक्का आवासीय मकान-सह-बाड़ी है। अधिवक्ता आयुक्त के जांच प्रतिवेदन में भी प्रश्नगत भूमि के पश्चिम में जोगिंदो महतो एवं उनके तीन भाई का पक्का मकान का उल्लेख किया गया है। उनके प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के पूरब की ओर तेजेश्वर महतो का मिट्टी के कच्चा खपरैल का मकान अवस्थित है। प्रश्नगत भूमि की पुरब एवं पश्चिम दोनों दिशा में आवासीय मकान अवस्थित है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के स्वरूप कृषि न होकर आवासीय है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, धनबाद।

समाहर्त्ता, धनबाद।